न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 503 / 2025

प्रार्थीगण

1 घेवरराम 2 राणाराम पिसरान जगूराम 3 पालुदेवी पत्नी जगूराम जाति भील निवासी सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण 2 कौशला पुत्र तगा 3 चम्पा पत्नी किशना 4 चौथाराम पुत्र कालुराम 5 टीकमाराम पुत्र नारणा 6 देवा पुत्र तगा 7 नेथीराम पुत्र नारणा 8 नेमा 9 बावू पिसरान तगा 10 भूरी पत्नी तगा 11 मंगलाराम पुत्र नारणा 12 रूगा 13 रणजीत 14 लाखा 15 लीला पिसरान तगा जाति भील निवासी सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश गोयल, वकील प्रार्थीगण पक्ष।

आदेश

दिनांक 22.04.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 15 का पैतृक खातेदारी के खेत मौजा सरली, सड़ा, झुण्ड, हरीनगर, सड़ा में आये हुए है। प्रार्थीगण के पूर्वज दादा किशनाराम का देहान्त होने पर प्रार्थीगण के पूर्वज का पैतृक खातेदारी का खेत के नामान्तकरण प्रार्थीगण के पूर्वज जगूराम के नाम भरे गये। मौजा सड़ा झुण्ड के खसरा संख्या 183, 185, 186 व 232 मौजा हरीनगर के खसरा संख्या 294 व मौजा सड़ा के खसरा संख्या 347 में नामान्तकरण में प्रार्थीगण के पूर्वज का नाम नामान्तकरण में "जगूराम पुत्र किशना" के नाम भरे गये परन्तु सरहद मौजा सरली के पैतृक खातेदारी के खेत खसरा संख्या 593 रकबा 4.2654 हैक्टेयर खसरा संख्या 914 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 915 रकबा 0.0324 हैक्टेयर खसरा संख्या 916 रकबा 6.3697 हैक्टेयर भूमि में नामान्तकरण संख्या 345 में प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम लिपिकीय त्रुटी से जगूराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर जमना पुत्र किशना लिख दिया गया जबकि किशनाराम के जमना नाम का कोई उतराधिकारी नही है। प्रार्थीगण के पूर्वज जगूराम पुत्र किशनाराम का वास्तविक नाम जगूराम के स्थान पर जमना भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। प्रार्थीगण के पूर्वज जगूराम पुत्र किशनाराम द्वारा मतदाता पहचान पत्र, परिवार कार्ड, खातेदारी जमीन के कुछ रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत सड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र व प्रार्थीगण के आधार कार्ड आदि दस्तावेज व प्रार्थी घेवरराम पुत्र जगूराम का तस्दीकसुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के पूर्वज जगूराम पुत्र किशनाराम का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा अशुद्ध नाम जगूराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर जमना पुत्र किशनाराम अंकित कर दिया जिसे शुद्ध करवाने का प्रार्थीगण अधिकारी है। लिहाजा मौजा सरली के पैतृक खातेदारी के खेत खसरा संख्या 593 रकबा 4.2654 हैक्टेयर खसरा संख्या 914 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 915 रकबा 0.0324 हैक्टेयर खसरा संख्या 916 रकबा 6.3697 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वज का अशुद्ध नाम जमना पुत्र किशनाराम के स्थान पर सही नाम, जगूराम पुत्र किशनाराम अंकित करवाने का आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से तथ्यत्मक प्रतिवेदन तलब किया गया।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक 397 दिनांक 11.03.2025 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध करवाते हुए अंकित किया कि मौजा सरली पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण के जमाबन्दी संख्या 13 खसरा संख्या 593 रकबा 4.2654 हैक्टेयर खसरा संख्या 914 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 915 रकबा 0.0324 हैक्टेयर खसरा संख्या 916 रकबा 6.3697 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में अन्य सहखातेदारों के साथ प्रार्थी जगूराम का नाम सहवन से जमना पुत्र किशना दर्ज है जो गलत है। सहखातेदारों व मौतबिरानों से पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त खातेदारी में जमना पुत्र किशना नाम से अन्य कोई खातेदार नही है। जमना पुत्र किशना का शुद्ध वास्तविक व अन्य रेकर्डेड नाम जगूराम पुत्र किशनाराम किया जाना उचित है। इसे दुरूस्त करने में किसी सहखातेदार को कोई आपति नही है।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण मौका रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, परिवार कार्ड, खातेदारी जमीन के कुछ रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत सड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र व प्रार्थीगण के आधार कार्ड आदि दस्तावेज व प्रार्थी घेवरराम पुत्र जगूराम का तस्दीकसुदा शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा सरली पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण के जमाबन्दी संख्या 13 खसरा संख्या 593 रकबा 4.2654 हैक्टेयर खसरा संख्या 914 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 915 रकबा 0.0324 हैक्टेयर खसरा संख्या 916 रकबा 6.3697 हैक्टेयर भूमि की प्रार्थीगण के पूर्वज का अशुद्ध नाम जमना पुत्र किशनाराम के स्थान पर जगूराम पुत्र किशनाराम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सरली पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण के जमाबन्दी संख्या 13 खसरा संख्या 593 रकबा 4.2654 हैक्टेयर खसरा संख्या 914 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 915 रकबा 0.0324 हैक्टेयर खसरा संख्या 916 रकबा 6.3697 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वज का अशुद्ध नाम जमना पुत्र किशनाराम के स्थान पर जगूराम पुत्र किशनाराम किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर